

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या: 230011/2022/ 71-1001(001)/12/2021

लखनऊ: दिनांक 31 अक्टूबर, 2022

विज्ञप्ति/नियुक्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, फिजियोलोजी विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-46(2)/38/डी0आर0/सेवा-8/2019-20, दिनांक 12 जुलाई, 2022 एवं पत्र संख्या-46(1)/38/डी0आर0/सेवा-8/2019-20, दिनांक 29 जून, 2022 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 05 अभ्यर्थियों को वेतन एकेडमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे-रू0 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) संबंधित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
 - (2) संबंधित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
 - (3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
 - (4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिसबन्दी भत्ता देय होगा।
 - (5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
 - (6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावयक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे:-

- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
 - (2) अभियोजन लम्बित न होने तथा मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन न होने अथवा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न होने के संबंध में शपथ पत्र।
 - (3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण पत्र।
 - (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
 - (5) चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
 - (6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
- 3- अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- 4- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं

011/2022 प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

5- अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त है, प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से

Signed by दुर्गा शक्ति

(दुर्गा शक्ति नागपाल)
विशेष सचिव।

Date: 31-10-2022 10:23:56

संख्या-उपरोक्त तदुद्दिष्ट

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं, जालौन, अम्बेडकरनगर, बांदा।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बदायूं, जालौन, अम्बेडकरनगर, बांदा।
7. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं, जालौन, अम्बेडकरनगर, बांदा।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या:एम0ई0-2/2022/2295-96

लखनऊ : दिनांक 10 नवम्बर, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं, जालौन, अम्बेडकरनगर तथा बांदा।
2. सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।

(श्रुति सिंह)
महानिदेशक

कार्यालय झाप संख्या: 230011/2022/ 71-1001(001)/12/2021

लखनऊ: दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 का संलग्नक

कं. सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम/रजि० नं०/श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहाँ तैनाती की गयी है
1	डा० आशिता नैन पुत्री श्री एन० पी० सिंह/ 53200025999/अनारक्षित/महिला	पता-ए०-39 मीनाक्षीपुरम, मवाना रोड़, मेरठ, उ०प्र०-250001	मेडिकल कालेज, बदायूं
2	डा० पूजा चौरसिया पुत्री श्री मदन लाल चौरसिया/ 53200003632/ओ०बी० सी०/महिला	पता-हाउस नं०-123 विजयन्त खण्ड-1 गोमतीनगर, नियर आकाश द्वीप चौराहा, लखनऊ, उ०प्र०-226010	मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
3	डा० नितिका वर्मा पुत्री श्री बलराज सिंह/ 53200007504/एस०सी०/महिला	पता-अमित कुमार एस०-1 बालाजी अपार्टमेन्ट, प्रापर्टी नं०-14 ट्रांसफार्मर वाली गली, इग्नू रोड़, नेबसराय, साउथ दिल्ली, दिल्ली- 110068	मेडिकल कालेज, जालौन
4	डा० नमिता पाल पुत्री स्व० श्री नरेश सिंह पाल/ 53200012879/ओ० बी०सी०/महिला/नॉन मेडिकल	पता-हाउस नं०-3425 आवास विकास नं०-3 पनकी रोड़, कल्यानपुर, कानपुर, उ०प्र०-208017	मेडिकल कालेज, बांदा
5	सुश्री आकांक्षा पुत्री श्री सुरेन्द्र मलिक/ 53200033916/ओ०बी० सी०/महिला/नॉन मेडिकल	पता-122 झुण्डपुर नियर दुर्गा मन्दिर, बागपत, उ०प्र०-250622	मेडिकल कालेज, बदायूं

(एस०पी० सिंह)
अनु सचिव